संख्या- 12 / 130 / चार-2015-221 (वि0)/13

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014- 15 में मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2579/सं0नि-23 (88)/2013-14, दिनांक 01.01.2015 तथा रजिस्ट्रार, मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के पत्र संख्या- एम0 ए0 जे0 यू0/2014/61, दिनांक 30-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014- 15 में मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 12,36,02,000/- (रूपये बारह करोड. छत्तीस लाख दो हजार मात्र) का परीक्षण करते हुए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 12,16,82,000/- (रूपये बारह करोड. सोलह लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम चरण में रू0 2,00,00,000/- (रूपये दो करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर निम्नांकित शर्तो के अधीन रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर जिलाधिकारी, रामपुर को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय से प्राप्त होते ही यह धनराशि कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), रामपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ् करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रस्ताव का परीक्षण व्यय वित्त समिति द्वारा लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना , कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि , व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा तीन माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय करने के पश्चात संस्था द्वारा जिलाधिकारी, रामपुर एवं निदेशक, संस्कृति निदेशालय के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृति की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/ पोस्ट आफिस/बैंक खाते में नहीं रखी जायेंगी तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में स्थापित होने वाले भव्य पण्डाल के उपयोग हेतु नियम, शर्ते और प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व जिलाधिकारी, रामपुर का होगा:-

(1) मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में उक्त अनुदान से निर्मित भ्व्य पण्डाल में शासन से प्राप्त उपरोक्त अनुदान से निर्माण किये जाने का उल्लेख करते हुए शिलापट स्थापित किया जायेगा।

(2) पण्डाल का उपयोग विश्वविद्यालय के निहित उददेश्यों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की ज्ञान वृद्वि ,प्रसार, शोध एवं अनुसंधान , शिक्षण, प्रशिक्षण , उच्च स्तरीय बौद्विक क्षमता के विकास तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों , योजनाओं और क्रिया कलापों आदि के लिये किया जायेगा उक्त उददेश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रायोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक , सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों , कार्यकलापों और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था या विभाग को निर्धारित शुल्क जमा कराकर पण्डाल के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के शासकीय प्रयोग के लिए पण्डाल का नि:शुल्क आवंटन किया जायेगा। इस पण्डाल का शासकीय कार्य के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाये, इस हेतु जिलाधिकारी, रामपुर अधिकृत होंगे।

(4) पण्डाल भवन का स्वामित्व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में सुरक्षित रहेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति , संस्था, विभाग अथवा एजेन्सी को किसी प्रकार से, किसी भी रीति से, न विनिमय किया जायेगा, न बेचा जायेगा अथवा किसी भी रूप में किसी को हस्तान्तरित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय निकाय, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अवधारित, भारित और आरोपित किये गये करो, शुल्कों और अन्य देयों का भुगतान किया जायेगा।

(6) पण्डाल में कभी भी न तो विश्वविद्यालय /ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार की व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों संचालित की जायेगी और न ही किसी अन्य को ऐसे कार्य के लिए अधिकृत किया जायेगा।

(7) भव्य पण्डाल के आंवटन , संचालन और अनुरक्षण के लिए विश्वविद्यालय/ट्रस्ट द्वारा उपविधि /विनिमय /नियमावली का विरचन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) पण्डाल निर्माण में उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त आने वाला व्यय- भार और अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय /ट्रस्ट द्वारा अपने संसाधनों/शुल्क से अर्जित होने वाले आय से वहन करेगा।

(9) उपरोक्त प्रक्रिया/दिशा-निर्देश में परिवर्तन/परिवर्धन का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन में निहित होगा। किसी भी विवाद की दशा में प्रमुख सचिव/सचिव , संस्कृति विभाग, उ0प्र0 का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -2205-कला एवं संस्कृति -आयोजनागत -101-ललित कला शिक्षा-24-मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय , रामपुर -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-160/दस-2015 दिनांक 23 फरवरी,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या - 12 /130 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, रामपुर ।
3- रजिस्ट्रार , मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), रामपुर ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in